"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 338] रायपुर, गुरुवार दिनांक 1 अगस्त 2013—श्रावण 10, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-4/2013/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-05-2013 द्वारा जिला बीजापुर के थाना गंगालुर के ग्राम एड़समेटा के नजदीक सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के मध्य हुई मुठभेड़ की न्यायिक जांच के लिये माननीय न्यायमूर्ति श्री व्ही. के. अग्रवाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, छ.ग. उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं अध्यक्ष, म. प्र. शुल्क नियामक न्यायाधिकरण, भोपाल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी है, जिसकी समयावधि दिनांक 18-08-2013 को समाप्त हो रही है.

2. चूंकि, जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अतः राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 19-08-2013 से दिनांक 18-02-2014 तक 6 माह की और वृद्धि करता है.

नया रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-5/2013/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-05-2013 द्वारा जिला बस्तर के दरभा थानान्तर्गत जीरमघाटी क्षेत्र में घटित नक्सली घटना की जांच हेतु न्यायिक जांच के लिये माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, उच्च न्यायालय बिलासपुर की अध्यक्षता एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी है, जिसकी समयावधि दिनांक 27-08-2013 को समाप्त हो रही है.

2. चूंकि, जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अतः राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 28-08-2013 से दिनांक 27-02-2014 तक 6 माह की और वृद्धि करता है.

नया रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-6/2011/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-08-2011 द्वारा थाना चांदो अन्तर्गत ग्राम नवाडीह, चेड़रा नाला के किनारे हुई पुलिस मुठभेड़ में कुमारी मीना खलखो की मृत्यु की न्यायिक जांच के लिए श्रीमती अनिता झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के कारण विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-02-2012 एवं अधिसूचना दिनांक 29-05-2012 द्वारा आयोग के कार्यकाल में 6-6 माह, अधिसूचना दिनांक 29-11-2012 द्वारा तीन माह एवं पुनः अधिसूचना दिनांक 28-02-2013 द्वारा छः माह की समयवृद्धि की गई है.

2. चूंकि, जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अतः राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 28-08-2013 से दिनांक 27-02-2014 तक 6 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.